

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-673/2018 में पारित आदेशों के अनुपालन में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजुविनेशन कमेटी की दिनांक 22.06.2020 को अपरान्ह 05:15 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-673/2018 में पारित आदेशों के अनुपालन में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजुविनेशन कमेटी की दिनांक 22.06.2020 को अपरान्ह 05:15 बजे बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेण्डा के अनुसार बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रदेश में स्थित 12 नदियों के प्रदूषित खण्डों के पुनर्जीवीकरण हेतु प्राथमिकता-प्रथम, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम के आधार पर कार्ययोजनायें बनायी गयी हैं, जिनका अनुमोदन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। प्राथमिकता-प्रथम में यमुना, वरुणा, काली (पूर्वी) एवं हिण्डन नदी सम्मिलित है, जिनमें प्रदूषण भार (बी0ओ0डी0)-30 मि0ग्रा0/लीटर से अधिक है।

3- बैठक में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न बिंदुओं पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण किया गया:-

- 1- टैण्ड/अनटैण्ड ड्रेन्स की स्थिति।
- 2- सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।
- 3- टोस, प्लास्टिक, बायोमेडिकल एवं लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।
- 4- सी0ई0टी0पी0/ ई0टी0पी0 की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।
- 5- फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन एवं नदियों के ई-प्लो की स्टडी की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।
- 6- वृक्षारोपण की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।

4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि 12 नदियों के प्रदूषित खण्डों हेतु बनायी गयी कार्ययोजनाओं के अनुसार कुल 324 ड्रेन्स चिन्हित हैं, जिनमें से 35 ड्रेन्स टैण्ड, 264 अनटैण्ड एवं 25 आंशिक रूप से टैण्ड हैं। अनटैण्ड एवं आंशिक रूप से टैण्ड ड्रेन्स पर माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक इन-सीटू रैमेडिएशन की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना था। यह भी अवगत कराया गया कि सभी उत्तरदायी स्थानीय निकायों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.06.2020 निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है।

आर.पी. विहारी
सदस्य सचिव

C-4
30/06/2020

①

5- 12 नदियों के प्रदूषित नदी खण्डों के कैचमेंट एरिया में उत्तरदायी संस्था द्वारा 47 नये प्रस्तावित/निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि 31 मार्च, 2020 तक 28 एस0टी0पी0 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें 19 एस0टी0पी0 का कार्य मार्च, 2021, 04 एस0टी0पी0 का अक्टूबर, 2021 एवं 03 एस0टी0पी0 का कार्य मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष 21 एस0टी0पी0 में 07 एस0टी0पी0 टेण्डरिंग प्रक्रिया में हैं तथा 14 की डी0पी0आर0 अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। इसी अनुक्रम में यह भी अवगत कराया गया कि समस्त 47 एस0टी0पी0 में निर्माण कार्य 31 मार्च, 2020 तक प्रारम्भ किये जाने का आदेश माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0-873/2018 में दिनांक 06.12.2019 को पारित किया गया था। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह भी आदेशित किया गया था कि यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दिनांक 30.06.2020 तक यदि एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा, तो सम्बन्धित स्थानीय निकाय के विरुद्ध प्रति एस0टी0पी0/माह 5.00 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाए। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.06.2020 निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है।

6- बैठक में सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह अवगत कराया गया कि हिंडन नदी में गिरने वाले सीवेज के उपचार हेतु एस0टी0पी0 स्थापित किये गये हैं, परन्तु सीवेज नेटवर्क का विकास नहीं हो पाने के कारण सीवेज को पूर्ण रूप से उपचार हेतु एस0टी0पी0 में नहीं ले जाया जा सका है। उक्त के फलस्वरूप अशोधित सीवेज को एक बड़ी मात्रा हिंडन नदी में गिर रही है।

7- बैठक में विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी में ई-प्लो मेनटेन किया जा रहा है तथा गंगा नदी के बिजनौर से लेकर कानपुर तक के खण्ड, हेतु फलड प्लेन जोन के डिमार्केशन हेतु टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। अन्तर्राज्यीय नदियों यमुना, बेतवा एवं रामगंगा के फलड प्लेन डिमार्केशन हेतु सर्वे का कार्य केंद्रीय जल बोर्ड, नई दिल्ली के स्तर से किया जाना है तथा इनके फलड प्लेन जोन का निर्धारण भी केंद्रीय जल बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा। शेष 08 नदियों हेतु फलड प्लेन जोन के निर्धारण की कार्यवाही माह अक्टूबर, 2020 तक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से की जायेगी। 03 नदियों यथा वरुणा, सई एवं गोमती विरस्थायी (Perennial) नदी नहीं होने के कारण उनमें ई-प्लो मेनटेन नहीं किया जा सकता है। शेष 07 नदियों हेतु ई-प्लो का निर्धारण किये जाने संबंधी स्टडी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा आई0आई0टी0, नई दिल्ली को दी गयी है, जिसे माह दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाना है। सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों द्वारा यदि अपने क्षेत्रान्तर्गत तालाबों व सहायक नदियों की गहराई बढ़ाये जाने

का कार्य मनरेगा योजना से कराया जाता है, तो आगामी वर्षकाल में उनमें जल संचयन होगा जो कि नदियों की अविरलता को प्राप्त किये जाने में सहायक होगा।

8- सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 612 स्थानीय निकाय विद्यमान हैं, जिनसे 17377.0 मीट्रिक टन/दिन सालिड वेस्ट जनित हो रहा है, जिसके सापेक्ष प्रदेश में कार्यरत् 12 वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयों के माध्यम से 4615.0 मीट्रिक टन/दिन वेस्ट की प्रोसेसिंग की जाती है। प्रदेश में उक्त के अतिरिक्त 20 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट विवाद में होने के कारण कार्यरत् नहीं है, जिनमें अनुमानित 3355.0 मीट्रिक टन/दिन वेस्ट प्रोसेस किया जा सकता है। यह सभी 20 प्लांट मार्च, 2021 तक पुनः संचालित कर लिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 582 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग हेतु जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है। उपरोक्त पर सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अभी भी सालिड वेस्ट प्रबन्धन में लगभग 10,000 टन का गैप बना हुआ है, जो भविष्य में लीगैसी वेस्ट के रूप में एक बड़ी समस्या बन सकता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त गैप दिनांक 31.03.2021 तक खत्म कराने हेतु सालिड वेस्ट प्लांट की स्थापना करायी जा रही है तथा इसी अनुक्रम में यह भी अवगत कराया गया कि मुरादाबाद, जौनपुर एवं अलीगढ़ में बन्द पड़े सालिड वेस्ट प्लांट को पुनः चला दिया गया है। प्रदेश में मेरठ तथा नोएडा में क्रमशः 3.0 लाख मीट्रिक टन, 1.0 लाख मीट्रिक टन लीगैसी वेस्ट का रैमेडिएशन कराया जा चुका है। आगरा तथा नोएडा में क्रमशः 8.0 लाख मीट्रिक टन, 1.10 लाख मीट्रिक टन लीगैसी वेस्ट के रैमेडिएशन की प्रक्रिया सतत् रूप से चल रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 10 प्रमुख बड़े शहरों में लगभग 26.1 लाख मीट्रिक टन लीगैसी वेस्ट का उपचार 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है।

9- औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कलस्टर में स्थापित टैक्सटाइल एवं टैनरी समूहों से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन हेतु क्रमशः 03-03 सी0ई0टी0पी0 स्थापित एवं कार्यरत् है, जिसमें मथुरा के सी0ई0टी0पी0 में शून्य उत्प्रवाह किये जाने की कार्यवाही एन0एम0सी0जी0 के माध्यम से की जा रही है। जाजमऊ स्थित सी0ई0टी0पी0 में 20 एम0एल0डी0 क्षमता विस्तार दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। उन्नाव स्थित बन्धर में सी0ई0टी0पी0 के उच्चीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार हो गया है तथा एन0एम0सी0जी0 द्वारा वित्तीय परियोजना स्वीकृत कर दी गयी है। उन्नाव स्थित साईट-2, औद्योगिक क्षेत्र में भी 2.15 एम0एल0डी0 के नये सी0ई0टी0 हेतु एन0एम0सी0जी0 द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है। वर्तमान में इन उपरोक्त सी0ई0टी0पी0 से सम्बद्ध औद्योगिक इकाईयों को इनकी शोधन क्षमता के अनुसार उत्प्रवाह जनित करने हेतु घटी हुई उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक संचालन हेतु राज्य बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रदेश में चिन्हित 12 प्रदूषित नदी खण्डों के कैचमेंट एरिया में चिन्हित 1619 जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों स्थापित हैं, जिनमें प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन की व्यवस्था स्थापित है। इन इकाईयों का सतत् अनुश्रवण राज्य बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एन0एम0सी0जी0 द्वारा अधिकृत तकनीकी संस्थाओं द्वारा समय-समय

पर किया जा रहा है। अनुश्रवण के दौरान 386 औद्योगिक इकाईयों गानकों के अनुरूप उत्प्रवाह शोधित न करने के परिणामस्वरूप इनके विरुद्ध लगभग 20 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की गयी है।

10- बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :-

- 1- प्रदूषित नदी खण्डों में गिरने वाले बड़े नालों को चिन्हित कराते हुए उनकी टैपिंग हेतु कार्ययोजना तैयार/कियान्वयन किये जाने की स्थिति का पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग एवं उ०प्र० जल निगम)

- 2- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के अनुसार नालों में कन्सट्रक्टेड वेटलैण्ड/फाईटोरेमिडियेशन का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जाय। प्रायोगिक तौर पर इस कार्य हेतु स्थानीय निकायों से वसूल की जा रही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का उपयोग किये जाने हेतु कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही- नगर विकास विभाग/उ०प्र० जल निगम/
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- 3- प्रदूषित नदी खण्डों में गिरने वाले नालों में प्रदूषण की स्थिति में हो रहे परिवर्तन के संबंध में पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- 4- एस०टी०पी० में सीवेज को पहुँचाने हेतु आवश्यक सीवेज नेटवर्क के निर्माण संबंधी परियोजनाओं की पूर्ण स्थिति आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय तथा स्थापित एस०टी०पी० की क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु कार्ययोजना भी प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग एवं उ०प्र० जल निगम)

- 5- उल्लंघनकारी उद्योगों, एस०टी०पी०, सी०ई०टी०पी० व अन्य प्रदूषण स्रोतों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण एवं सूची भी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- 6- प्रदूषित नदियों में कैनल सिस्टम के माध्यम से सिंचाई के सरप्लस जल को प्रवाहित किये जाने हेतु एवं आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किये जाने हेतु कार्ययोजना आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय। उक्त के अतिरिक्त प्रदूषित नदियों की अविरलता सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सहायक नदियों/नालों तथा तालाबों को पुनर्जीवित किये जाने की कार्यवाही मनरेगा योजना से करायी जाय।

(कार्यवाही-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ग्राम्य विकास
विभाग/पंचायती राज विभाग)

- 7- प्रदेश स्थित 12 नदियों के प्रदूषित खण्डों के पुनर्जीवीकरण हेतु निरूपित कार्ययोजनाओं में निहित कार्यवाही के बिंदुओं से संबन्धित सूक्ष्म योजनायें, जिनमें वित्तीय आवश्यकता, वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्रोत एवं टाइमलाईन आदि का स्पष्ट विवरण दिया गया हो, तैयार कर एक सप्ताह में पर्यावरण विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग)

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

आलोक सिन्हा

कृषि उत्पादन आयुक्त।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7


संख्या-NCT-283(I)/81-7-2020-49(पर्या)/2017 टी०सी०

लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/कृषि/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 7- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8- क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
- 10- डॉ० ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, आई०आई०टी०, रुड़की।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(संजय सिंह)
सचिव।